महत्वपूर्ण/गो संरक्षण

संख्या 1852/सैंतीस-2-2024-5(53)/2018टीसी-5

प्रेषक,

के० रवीन्द्र नायक,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- जिलाधिकारी,
मैंनपुरी, आयोध्या, अम्वेड़करनगर, मुरादाबाद, अलीगढ़, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, प्रयागराज, मिर्जापुर, कानपुरनगर, बरेली, सुल्तानपुर, गोण्डा, कन्नौज, बदायूँ, अमरोहा, बिजनौर, प्रतापगढ़, वाराणसी, उन्नाव।

2- निदेशक, प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

3- निदेशक,
स्थानीय निकाय, नगर विकास विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक 30 अगस्त, 2024

विषय- दिनांक 01.09.2024 से 07.09.2924 तक "विशेष निराश्रित गोवंश संरक्षण अभियान" चलाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि निराश्रित गोवंश संरक्षण एवं भरण-पोषण हेतु सरकार का दृढ़ संकल्प है। इस हेतु एक वृहद नीति का प्रख्यापन करते हुये, समय-समय पर उच्चस्तरीय निर्णय के क्रम में विस्तृत दिशानिर्देश पशुधन विभाग द्वारा निर्गत किये गये हैं। वर्तमान में 7527 गो आश्रय स्थलों में कुल 15,44,956 गोवंश संरक्षित किये जा चुके हैं। इसके उपरान्त भी विभिन्न समाचार पत्रों, जनप्रतिनिधियों आदि माध्यमों से जनपद मैंनपुरी, आयोध्या, अम्वेड़करनगर, मुरादाबाद, अलीगढ़, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, प्रयागराज, मिर्जापुर, कानपुरनगर, बरेली, सुल्तानपुर, गोण्डा, कन्नौज, बदायूँ, अमरोहा, बिजनौर, प्रतापगढ़, वाराणसी तथा उन्नाव में निराश्रित गोवंश के विचरण की सूचना प्राप्त हो रही है।

2- शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त निराश्रित गोवंशों के शतप्रतिशत संरक्षण हेतु "विशेष निराश्रित गोवंश संरक्षण अभियान" दिनांक 01.09.2024 से दिनांक 07.09.2024 तक चलाये जाने का निर्णय लिया गया है, जिसके क्रम मे निम्नानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है:-

(1) न्याय पंचायत स्तर पर नोडल अधिकारी नामित किया जाना।

(क) ग्रामीण क्षेत्र।

खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रत्येक न्याय पंचायत स्तर पर निराश्रित गोवंश के संरक्षण हेतु संबंधित ग्राम पंचायत के पंचायत सचिव/ग्राम्य विकास अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित किया जाना।

(ख) <u>शहरी क्षेत्र।</u>

नगर आयुक्त व अधिशाषी अधिकारी (जहाँ जैसी स्थिति हो) द्वारा नोडल अधिकारी नामित किया जाना।

<u>नोडल अधिकारी का कार्य दायित्व-</u>

(1) खण्ड विकास अधिकारी द्वारा निराश्रित गोवंश संरक्षण हेतु न्याय पंचायत स्तर पर एक दल का गठन किया जाय।

(2) उक्त दल में ग्राम पंचायत सचिव, पंचायत सचिव, पंचायत मित्र, पशुधन प्रसार अधिकारी, सफाई कर्मी आदि ग्राम स्तरीय कार्मिकों को सम्मिलित किया जाय।

(3) यह दल संबंधित पशु चिकित्साधिकारी/उप मुख्य पशु चिकितसाधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी के नेतृत्व में कार्य करेगी (जहाँ जो नजदीक हों)।

(4) प्रत्येक न्याय पंचायत क्षेत्र में निराश्रित गोवंश संरक्षण में संबंधित नोडल अधिकारी व संबंधित अधिकारियों के मोबाइल नम्बर का व्यापक प्रचार एवं प्रसार किया जाय।

(5) जन साधारण से किसी क्षेत्र विशेष में निराश्रित गोवंश की सूचना प्राप्त होने पर टीम द्वारा गोवंश को तत्काल संरक्षित कराया जाय।

(6) गो आश्रय स्थल पर संरक्षण के समय ही ईयर टैग लागाया जाय तथा गो आश्रय पोर्टल पर गोवंश का विवरण अपलोड किया जाय।

2- जनपद में मुख्य पशु चिकित्साधिकारी स्तर से निराश्रित गोवंश के हॉट स्पाट चिन्हित किये जाएं तथा विकास खण्डवार एवं नगर निकायवार अवशेष निराश्रित गोवंशों की संख्या का आकलन किया जाय।

3- जनपद में गोवंश के हॉट स्पाट तथा अन्य स्थानों से निराश्रित गोवंश के विचरण की सूचना प्राप्त होने/जानकारी होने पर गोवंश को पकड़ने एवं गो आश्रय स्थल तक जाने हेतु दल को मूव कराया जाय।

4- निराश्रित गोवंशों के संरक्षण कार्य में संबंधित ग्राम के ग्राम प्रधान का सहयोग प्राप्त किया जाय।

5- न्याय पंचायतवार कैटल कैचर टैग किये जाए तथा कैटल कैचर प्रभारी का नाम तथा मोवाइल नम्बर संबंधित दल को उपलब्ध कराया जाय।

6- कैटल कैचर की सहायता से निराश्रित गोवंश को हॉट स्पाट तथा अन्य स्थानों से पकडकर निकटतम गो आश्रय स्थल पर पहुचाया जाय।

7- विशेष गोवंश संरक्षण अभियान के दौरान गोवंशों की गो आश्रय पोर्टल पर प्रविष्टि के आधार पर ही गो संरक्षण का आंकलन किया जायेगा। अतः प्रत्येक नव संरक्षित गोवंश की टैगिंग एवं पोर्टल पर विवरण अपलोड किया जाना अनिवार्य है।

8- राष्ट्रीय राज्यमार्गों शहरी क्षेत्रों, मण्डी, सब्जी बाजार एवं आवासीय क्षेत्रों को निराश्रित गोवंश मुक्त किये जाने हेतु प्राथमिकता पर कार्यवाही की जाय।

9- गो आश्रय पोर्टल पर अपलोडेड दैनिक गोवंश संरक्षण संख्या के आधार पर गो संरक्षण अभियान की सूचना का संकलन कर प्रगति से निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग द्वारा शासन को अवगत कराया जाय।

10- अभियान की समाप्ति पर जनपद स्तर से ग्रामीण क्षेत्र में शतप्रतिशत निराश्रित गोवंश को संरक्षित किये जाने से संबंधित प्रमाण-पत्र जिलाधिकारी एवं मुख्य पशु चिकित्साधिकारी तथा नगरीय क्षेत्रों में अपर जिलाधिकारी व अधिशाषी अधिकारी, नगर निकाय के संयुक्त हस्ताक्षर के द्वारा ई-मेल jdgaushala.up@gmail.com पर प्रेषित किया जाय।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्तनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

Signed by
"RAVINDER NAIK KHATRAVATH"
Date: 30-08-2024 13:21:44

(कु0 रवीन्द्र नायक)
प्रमुख सचिव।

संख्या 1852(1)/सैंतीस-2-2024-तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0शासन।
2- विशेष कार्याधिकारी, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0शासन।
3- अपर मुख्य सचिव, पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0शासन।
4- अपर मुख्य सचिव, राजस्व विभाग, उ0प्र0शासन।
5- अपर मुख्य सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0शासन।
6- प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0शासन।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव।